

डिक्री बमुकदमें ईब्दादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या-287 / 2018

1. मनीराम पुत्र श्रवण कुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
2. डूंगरराम पुत्र श्रवण कुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
-वादीगण

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
2. चन्द्रावती पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
3. सरस्वती पुत्री श्रवण कुमार पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी।
4. तीजां पुत्री श्रवण कुमार पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी।
5. शकुन्तला पुत्री श्रवण कुमार पत्नी जयकिशन जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।।
6. सन्तरो पुत्री श्रवण कुमार पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
7. सीता पुत्री श्रवण कुमार पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई बरू हमारे बहाजरी श्री रूपराम कासनियां, अधिवक्ता वादी मिन जामिन मुदई श्री हितेन्द्र मोहन गारस्वत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं.8 एमजेडब्ल्यू के खाता संख्या 131/115 की कुल 7.617 है.कमाण्ड/अनकमाण्ड आराजी के वादीगण को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक नं. 8 एमजेडडब्ल्यू के खाता संख्या 131/115 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बहिब अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित सुरक्षित रखते हुवे उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के मयें शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 18.7.2018 अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.7.2018 को डिक्री जारी की गई।



(उम्मेदसिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी